

Copy of order dt. 12/1/21
In the Court of Ld. Sd. Ashok Kumar JMIC
Sonepat.

Case No.:-

Date of Decision/Hearing:- 25/1/21

Under Section:- 148, 149, 332, 353,
186, 384, 379B,
307 IPC

Date of Institution:-

F.I.R. No.:- 25 dt. 12/1/21

Police Station:- Kundli

State vs

① जैदीप कौर पुत्री सुखदीप सिंह
बासी शान्कर थाना लारवेवाली
मण्डी जिला श्री मुक्तसर
साहिब पंजाब ।



Attested

EXAMINER

25/1/21

Present: Sh. Abhishek, Ld. APP for the State.
Accused Nodeep Kaur in custody represented by Legal Aid Counsel.

Papers put up before me being Duty Magistrate. Accused Nodeep Kaur produced before me at camp office at 07.50 p.m. In compliance of authority titled Arnesh Kumar Vs. State of Bihar and another, (2014) volume VIII, SCC, page 273 (SC), the grounds of arrest mentioned in the remand paper and check list have been checked and verified. As such, I am satisfied that the arrest made in this case was legal.

An application for 14 days judicial remand has been moved. Heard. Pending investigation. Accused be kept in judicial custody and be produced before the court through VC on 25.01.2021. Papers be sent back to the concerned court immediately.

Saurabh Gupta
(Saurabh Gupta)
D/CJM, Sonapat
UID No. HR0284
12.01.2021

Nikhil

Certified to be True Copy

Saurabh Gupta
Examiner
Certified Agency, Subordinate
Courts, Sonapat
(Authorised under Sec 70 of
the Indian Evidence Act.)
21/5/1/21

Encl. No. and Date 213/15/1/21
No. of Pages 2
App. Fees _____ Draft Fees 10
Copying Fees 6/10 = 16
Record Fee _____
Date of Filing 15/1/21
Date of Disposal 15/1/21
Copy prepared by *Surender Kumar*
Date of Delivery 15/1/21

Copy of Remand Paper dt. 12/11/21
In the Court of Lt. Sh. Ashok Kumar J.M.C
Sonepat.

Case No. :-

Date of Decision/Hearing:- 25/11/21

Under Section:- 148, 149, 332, 353,
186, 384, 379B,
307 IPC

Date of Institution:-

F.I.R. No.:- 25 dt. 12/11/21


Police Station:- Kundli



State vs

① जौदीप कौर पुत्री सुखवीप सिंह
वासी शान्दर थाना लारवेवाली
मण्डी जिला श्री मुक्तसर
साहिब पंजाब ।

Attested


EXAMINER
25/11/21

थाना कुण्डलीजिला सोनीपतराज्य द्वारा : निरीक्षक रवि कुमार थाना कुण्डली जिला सोनीपत।

मुकदमा नं० 25 दिनांक 12.01.2021 धारा 148/149/332/353/186/384/379बी/307 भा०द०स०

थाना कुण्डली जिला सोनीपत।

वनाम : नौदीप कौर पुत्री सुखदीप सिंह वारी ज्ञान्दर थाना लाखेवाली मण्डी जिला श्री मुक्तसर साहिब पंजाब।

रिमाण्ड ज्यूडिशियल 14 दिन आरोपिया नवदीप कौर

श्रीमान जी, हालात मुकदमा इस प्रकार से है कि आज दिनांक 12.01.2021 को निरीक्षक रवि कुमार मय HC अशोक 1498, CT प्रदीप न० 2197 व L/CT रीटा न० 1154 के बराये LAW & ORDER DUTY बासवारी गाड़ी सरकारी न० HR10AC 0196 जिसका चालक सिपाही सुमित न० 1188 है, के निफटम रोड पर मौजूद था कि निरीक्षक रवि कुमार के सरकारी फोन आया कि फैक्टरी न० 349 के सामने कुछ व्यक्ति लाठी-डण्डे लेकर अवैध वसूली के लिए फैक्टरी में घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं उसी समय थाना से भी निरीक्षक रवि कुमार को सूचना प्राप्त हुई कि फैक्टरी न० 349 के सामने कुछ व्यक्ति अवैध वसूली के लिए फैक्टरी में घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं जो मौका पर HC राकेश न० 371, HC सुरेन्द्र न० 2058 व SPO सतेन्द्र न० 399 के मौका पर गए हैं। आप भी मौका पर पहुँचो जिस सूचना पर निरीक्षक रवि कुमार मय स्टाफ के मौका पर पहुँचा तो वहाँ पर 2/3 लड़कियाँ व 50-60 लड़के जिनके हाथों में लाठीयाँ व डण्डे थे, नारे लगाते हुए खड़े थे जिनको रवि कुमार निरीक्षक ने जाकर समझाने की कोशिश की तो भीड़ की अगुवाई कर रही एक लड़की ने ललकारते हुए कहा कि ये वो ही SHO हैं जिसने पहले भी हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है आज इसको मुकदमा दर्ज करने का मजा चखाते हैं। जो इतने में उस लड़की व उसके सभी साथियों ने यह कहते हुए कि आज इनको जान से मार देंगे और सभी ने अपने हाथों में लिए लाठी व डण्डे सीधे रवि कुमार निरीक्षक व अन्य कर्मचारियों के सिरों में मारे तथा मारपीट शुरू कर दी जिससे रवि कुमार निरीक्षक व अन्य कर्मचारियों को सिरों व शरीर में अन्य जगहों पर काफी चोटें लगी तथा गनमैन की कारबाही छीनने का प्रयास करने लगे तथा I/O HC राकेश न० 371 से उसकी तफतीश फाईल छीन ली जिसमें कुछ नम्बरी दरखास्तें व अन्य कागजात थे जो इसी समय पब्लिक की भीड़ इकट्ठा हो गई जिनमें से रवि S/O प्रेमसिंह जाट R/O खेवड़ा, खण्डेरा पाना, जितेन्द्र S/O

Attested

EXAMINER

21.5.12

ओमप्रकाश जाट R/O माछरी व सोनू S/O रामपाल जाट R/O मुकिनपुर ने भी उनको तीतर-बीतर करने में पुलिस की सहायता की जो महिला सिपाही रीटा न0 1154 की सहायता से एक लड़की जिसका नाम पूछताछ पर नवदीप कौर D/O सुखदेव सिंह R/O गन्दर जिला मुक्तसर पंजाब मिला, काबू की गई तथा बाकि सभी अपने लाठी-डण्डो सहित भागने में सफल हो गए जिन्होंने भागते समय भी रवि कुमार निरीक्षक व अन्य कर्मचारियों पर ईठो व पत्थरो से भी वार किये जो उपरोक्त दोषियान ने सरकारी ड्युटी में बाधा उत्पन्न करके लाठियों से जान से मारने की नियत से कर्मचारियों पर हमला करके सरकारी फाईल व कागजात छीन कर अवैध वसूली के लिए फैक्टरी में घुसने का प्रयास करके जुर्म जैर धारा 148,149,186,332,353,384,379B,307 IPC का किया है जिसपर मुकदमा बाजुर्म उपरोक्त दर्ज रजिस्टर करके मुकदमा हजा की आगामी तफतीश दूसरे अनुसंधानकर्ता के रूप में मन उप निरीक्षक द्वारा अमल में लाई गई। दौराने तफतीश मुल्हाजा मौका व ब्यानात गवाहन अंकित किए गए। जो दौराने तफतीश मुकदमा हजा में आरोपिया नौदीप कौर पुत्री सुखदीप सिंह वासी ज्ञान्दर थाना लाखेवाली मण्डी जिला श्री मुक्तसर साहिब पंजाब के खिलाफ सबूत कानिले गिरफ्तारी सफा मिशाल पर गुजरने पर हस्व जावता गिरफ्तार किया गया। आरोपिया का फाई इन्कसाफ अंकित किया गया। मुकदमा हजा में तकमील तफतीश बकाया है। आरोपिया पेश अदालत है। माननीय अदालत से अनुरोध है कि आरोपिया का रिमाण्ड ज्यूडिशियल 14 दिन मन्जूर फरमाकर जिस्म आरोपिया जेल में बन्द करने के सादर आदेश फरमाए जावे।

नौदीप कौर

Sw 37
थाना कुण्डली

दिनांक 12.01.2021

Certified to be True Copy

Satish
Examiner

Certified Agency, Subordinate
Courts, Sessions

(Authorised under Sec.70 of
the Indian Evidence Act.)

15/1/21

Receipt No. and Date

No. of Pages

Gen. Fees

Ordering Fees

Record Preparation

Date of Filing

Name of Applicant

Class of Agency

213/15/1/21

3

10

9+5+10=24

15/1/21

Suren Kermal

15/1/21